न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस संख्या 2024/294

1. राधेश्याम दत्तक पुत्र रामनिवास उम्र 86 वर्ष जाति महाजन निवासी ग्राम माधोगढ तहसील बस्सी जिला जयपुर हालवासी–खादी भण्डार के सामने, राजेन्द्र पारीक एडवोकेट के मकान के पास गंगाधाम मोड बस्सी जिला जयपुर राज0।

–अपीलांट

बनाम

1. श्रीमती गोपाली देवी पुत्री रामनिवास पत्नि श्री दामोदर प्रसाद जाति महाजन, निवासी ग्राम बस्सी, तहसील बस्सी, जयपुर राज० ।
2. ग्राम पंचायत तूँगा तहसील तूँगा जिला जयपुर जरिये सरपंच।

–रेस्पोडेन्ट्स

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आज्ञा उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर निर्णय दिनांक 18.06.2024 अपील संख्या 14/2022 उनवानी गोपाली देवी बनाम ग्राम पंचायत तूँगा व अन्य बाबत् सरपंच ग्राम पंचायत तूंगा नामान्तरकरण संख्या 234 दिनांक 30.10.1976

उपस्थित–

1. श्री संजय जैन वकील अपीलान्ट
2. श्री राजाराम चौधरी वकील रेस्पोडेन्ट नं. 1 की ओर से।
3. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं. 2 की ओर से।

निर्णय

दिनांक–16.07.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर के निर्णय दिनांक 18.06.2024 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने ग्राम तूंगा के खसरा नं. 1360 रकबा 0.2000 है0, 1361 रकबा 0.5500 है0, 1362 रकबा 0.8500 है0, 1366 रकबा 0.0100 है0, 1367 रकबा 0.7100 है0, 1368 रकबा 0.2500 है0, 1371 रकबा 0.2500 है0, 1372 रकबा 0.2300 है0, 1375 रकबा 0.4500 है0, 1376 रकबा 0.1500 है0, 1379 रकबा 0.1500 है0, 1380 रकबा 0.4000 है0, 1383 रकबा 0.4500 है0, 1384 रकबा 0.3500 है0, 166 रकबा 0.5000 है0, 167 रकबा 0.6300 है0, 167/2135 रकबा 0.0200 है0, 168 रकबा 0.2000 है0, 169 रकबा 0.2400 है0 कुल किता 19 कुल रकबा 6.5900 है0 के ग्राम पंचायत तूंगा द्वारा खोले गये नामान्तरकरण संख्या 234 दिनांक 30.10.1976 को गलत बताते हुये इसकी अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर के समक्ष प्रस्तुत की जिस पर अधीनस्थन्यायालय द्वारा ग्राम पंचायततूंगा का आदेश दिनांक 30.10.1976 बाबत् नामा0 संख्या 234 को निरस्त करते हुये प्रकरण तहसीलदार तूंगा को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित किया कि वे मृतक रामनिवास

संभागीय आयुक्त
जयपुर

के विधिक वारिसान की भंली भांति जॉच कर साथ ही अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये पुनः निर्णय निर्णय पारित करने के आदेश दिनांक 18.06.2024 को दिए गये।

3. उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुरके उक्त निर्णय दिनांक 18.06.2024 से व्यथित होकर अपीलान्ट राधेश्याम दत्तक पुत्र रामनिवास द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी बस्सी के निर्णय दिनांक 18.06.2024 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पॉडेन्ट्स की तलबी की गई। सभी पक्षकारान् के उपस्थित होने एवं अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रति होने से उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं व राजकीय अधिवक्ता की बहस, बहस एडमिशन पर सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि मूल खातेदार स्व. रामनिवास जी ने अपने जीवन काल मे ही राधेश्याम जी को विधिवत् गोद रस्म पूरी कर दत्तक पुत्र ले लिया था, रामनिवास जी एंव उसकी पत्नि श्रीमति गोविन्दी देवी हमेशा अपने जीवन काल मे अपने पुत्र राधेश्याम अपीलांट के साथ ही रहे। रामनिवास की मृत्यु. उपरान्त पगडी दस्तुर अपीलांट के हुआ था। समस्त दस्तावेजो मे पिता का नाम रामनिवास ही अंकित है राधेश्याम को अपने जायन्दा पिता जुगल किशोर जी से सम्पत्ति मे किसी भी प्रकार का हिस्सा नही मिला है स्वयं रामनिवास जी ने अपने दत्तक पुत्र व पुत्री मे बॅटवारा कर दिया था तथा रेस्पोडेन्ट नं. 1 के नाम भी पृथक से भूमि लगवा दी थी तथा नकद व जेवरात आदि दे दिये थे इसी आधार पर स्वंय गोपाली देवी रेस्पोडेन्ट न. 1 की जानकारी व सहमति से ही राधेश्याम जी के नाम नामान्तकरण सन् 1976 मे ही स्वीकृत हो गया था। राधेश्याम तब से रिकॉर्डेड खातेदार है। प्रशनगत नामान्तरकरण 234 दिनांक 30.10.1976 मजमेआम में विधिवत् ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक किया गया है। अर्थात आज से करीब 50 वर्ष पूर्व ही राधेश्याम अपीलांट के नाम स्वीकृत हो चुका था जिस नामान्तकरण को सभी के समक्ष ग्राम पंचायत तूंगा ने स्वीकृत किया था। अपीलांट राधेश्याम गत 50 वर्षो से वादग्रस्त भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार है। रेस्पोडेन्ट न. 1 ने कभी भी इस बाबत कोई भी एतराज नही किया इतने वर्ष बाद उसने फर्जी तथ्यो पर यह अपील पेश की है। प्रशनगत नामान्तरकरण 50 वर्ष पुराना है और साक्ष्य अधिनियम के अनुसार 30 वर्ष पुराने दस्तावेज अथवा आदेश की अतिमहत्ता मानी जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मियाद के बिन्दु पर गौर किये बिना ही धारा–5 बिना कारणों सहित स्वीकार कर लिया गया। इस बाबत् कोई फाइन्डिंगस नहीं दी गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी तथ्यों पर गौर किये बिनाअपीलाधीन आदेश पारित किये गये जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर दिनांक 18.06.2024 निरस्त किया जावे।

6. रेस्पोडेण्ट के योग्य अधिवक्ता ने अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि प्रश्नगत भूमि वाके ग्राम तूंगा, तहसील तूंगा के मूल खातेदार रेस्पो0 संख्या 1 गोपाली देवी के पिता रामनिवास पुत्र रूडमल थे एवं रामनिवास के एकमात्र पुत्री संतान गोपाली देवी हुई एवं गोपाली देवी के अलावा स्व0 रामनिवास के कोई पुत्र या पुत्री संतान नहीं हुई । ऐसी स्थिति में रेस्पो0 संख्या 1 गोपाली देवी एकमात्र प्रथम श्रेणी की वारिस है। अपीलांटजो कि जुगलकिशोर का पुत्र है उसने अपने आपको रामनिवास का दत्तक पुत्र बताते हुये एवं पगडी के आधार पर अपने हक में नामान्तकरण खुलवा लिया एवं रामनिवास के एकमात्र जायन्दा पुत्री के जीवित रहते हुये अपीलांट ने गोपाली देवी की पैतृक भूमि को हडप करने के लिये साजिशाना तौर पर नामान्तकरण तस्दीक करवाया है। जबकि अपीलांटके

संभागीय आयुक्त
जयपुर

हक में कोई गोदनामा उल्लेखित नहीं है। गोपाली देवी के पिता स्व० रामनिवास एवं माता ने कभी भी अपीलांट को उसके जन्मदाता पिता से गोद नहीं लिया एवं रेस्पो0 संख्या 1 के माता–पिता ने कभी भी अपीलांटके पक्ष में कोई गोद की लिखावट नहीं की गयी। रेस्पो0 संख्या 1 की पैतृक सम्पत्ति जो कि अपीलांटके नाम अवैध रूप से दर्ज हुई। रेस्पो0 संख्या 1 गोपाल देवी रामनिवास की जायन्दा पुत्री है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हिन्दू उत्तराधिकार संशोधित अधिनियम 2005 की धारा 6 में संशोधन करते हुए पिता की सम्पत्ति में पुत्री को भी जन्म से पुत्र के समान उत्तराधिकारी माना है अर्थात् पुत्र और पुत्री को पिता संपत्ति में बराबर का उत्तराधिकार मिलेगा चाहे उसके पिता की मृत्यु कभी भी हुई हो। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर ने विधिवत् हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रश्नगत भूमि को रेस्पो0 संख्या 1 की पैतृक भूमि मानते हुये ग्राम पंचायत तूंगा द्वारा खोले गये नामान्तरकरण संख्या संख्या 234 दिनांक 30.10.1976 को निरस्त किया गया है। जो कि उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि ग्राम तूंगा के खसरा नं. 1360 रकबा 0.2000 है0, 1361 रकबा 0.5500 है0, 1362 रकबा 0.8500 है0, 1366 रकबा 0.0100 है0, 1367 रकबा 0.7100 है0, 1368 रकबा 0.2500 है0, 1371 रकबा 0.2500 है0, 1372 रकबा 0.2300 है0, 1375 रकबा 0.4500 है0, 1376 रकबा 0.1500 है0, 1379 रकबा 0.1500 है0, 1380 रकबा 0.4000 है0, 1383 रकबा 0.4500 है0, 1384 रकबा 0.3500 है0, 166 रकबा 0.5000 है0, 167 रकबा 0.6300 है0, 167/2135 रकबा 0.0200 है0, 168 रकबा 0.2000 है0, 169 रकबा 0.2400 है0 कुल किता 19 कुल रकबा 6.5900 है0 के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार रामनिवास पुत्र रूडमल था एवं प्रकरण में मूल विवाद मृतक खातेदार रामनिवास पुत्र रूडमलकी विरासतको लेकर है। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने उक्त भूमि का नामान्तरकरण बिना किसी गोदनामे के केवल अपीलांट के हक में होने पर ग्राम पंचायत तूंगा द्वारा खोले गये नामान्तरकरण संख्या 234 दिनांक 30.10.1976 को गलत बताते हुये इसकी अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर के समक्ष प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरकरण तस्दीक करते समय प्रश्नगत भूमि केखातेदार के वारिस की विधिवत जॉच नहीं किये जाने एवं केवल पगडी बंधने से विरासत में कोई अधिकार नहीं होने से खोले गये नामान्तरकरण संख्या 234 को निरस्त किया गया है। इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि सर्वप्रथम अपीलांट ने स्वयं ने यह कथन किया है कि रेस्पो0 संख्या 1 उसकी बहिन एवं मृतक खातेदार रामनिवास पुत्र रूडमल की एकमात्र पुत्री है। ऐसी स्थिति में यह स्वीकृत तथ्य है कि रेस्पो0 संख्या 1 मृतक खातेदार की पुत्री है और विधिक वारिस है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पिता की सम्पत्ति में पुत्री को भी जन्म से पुत्र के समान उत्तराधिकारी माना है अर्थात् पुत्री को पुत्र के समान पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार समाहित है। ऐसे में ग्राम पंचायत तूंगा द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 के पैतृक भूमि में अधिकारों का समाप्त कर केवल अपीलांट के हक में नामान्तरकरण तस्दीक किया जाना विधिसम्मत नहीं है। अपीलांट के हक में तस्दीक नामान्तरकरण में पगडीबंधी होने के आधार पर खोला जाने का अंकन हैजिसके संबंध में कोई पंजीकृत गोदनामें का भी उल्लेख नहीं है। ना ही अपीलांट द्वारा न्यायालय के समक्ष कोई ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत किया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर द्वारा विधिवत् ही उक्त सभी तथ्यों पर गौर व अवलोकन करने की उपरान्त ही ग्राम पंचायत तूंगा का नामान्तरकरण संख्या 234 दिनांक 30.10.1976 को निरस्त करते हुये तहसीलदार तूंगा को मृतक रामनिवास के विधिक वारिसान की भली भांति जॉच

अतिरिक्त आयुक्त
जयपुर

कर साथ ही अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये पुनः निर्णय निर्णय पारित करने के आदेश दिए गये हैं। जिससे अगर अपीलांट को कोई आपत्ति भी है तो वह तहसीलदार तूंगा के समक्ष अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर का अपीलाधीन आदेश उचित व विधिसम्यक है। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। इसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समक्षते हैं।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलांट पंजीकृत गोदनामा उपलब्ध नहीं होने के कारण सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा ही उत्तराधिकार के संबंध में अधिकारों का निर्धारण किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अपील बहस एडमिशन के स्तर पर ही निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर का निर्णय दिनांक 18.06.2024 यथावत रखा जाता है।

(डॉ आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 16.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर